संख्या-1757/18-2-2010-12(एस0पी0)/2010

प्रेषक,

के0डी0 त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, उद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/
कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

3-प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त शासकीय नियंत्रणाधीन निगम/परिषद
/प्राधिकरण/स्वायत्तशासी संस्थायें, उ0प्र0।

लघु उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 09 अगस्त, 2010

विषयः-सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें एवं श्री गॉधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम) के द्वारा लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता।

महोदय,

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर इकाइयों के महत्व तथा हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें एवं श्री गॉधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (उत्तर प्रदेश निर्यात निगम) के माध्यम से लघु, कुटीर एवं हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित परिशिष्ट में दिये गये 11 प्रकार के वस्त्रो की क्रय अनिवार्यता विषयक शासनादेश संख्या-523/18-5-2009-59(एस0पी0)/92, दिनांक 30 जून, 2009 की अवधि उसमें उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 31-3-2011 तक बढ़ायी जाती है ।

भवदीय,

(के0डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-1757(1)/18-2-2010-12(एस0पी0)/2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुं प्रेषित-

1- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों, प्राधिकरणों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को उक्त शासनादेश का अनुपालन करने हेतु सम्यक् निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

2- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त उपक्रमों/निगमों को शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

3- गोपन अनुभाग-1/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-1757/18-2-2010-12(एस0पी0)/2010, दिनांक 09 अगस्त, 2010 का परिशिष्ट।

1. सूटिंग एवं शर्टिंग (खाकी, नेवी ब्लू, ग्रे, सफेद आदि सभी रंगों में)
2. काटन बेड दरी (सभी किस्म एवं रंगों में)
3. हक्का बैक/हनी कोम्ब/टेरी टावेल
4. साड़ी एवं धोती।
5. बेड सीट एवं पिलो कवर।
6. पर्दे के कपड़े एवं टेपेस्ट्री (सोफा इत्यादि के प्रयोग हेतु)
7. ऊनी कम्बल (सभी प्रकार के)
8. फर्शी दरी।
9. ऊनी वर्दी का कपड़ा।
10. गाज बैन्डेज क्लाथ।
11. दो सूती क्लाथ।

(दया शंकर सिंह)
अनु सचिव।